




तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/1/18	APP 3401 गौ.सा. 3401 गौ.सा. को जरिये B/w 5000/- से तालब किया जाये। पचावली दि. 21.2.2018 को पेश हो। <div style="text-align: right;">  अति. जिला कलक्टर, पाली </div>	223 21/1/2018
21.2.2018	APP 3401 गौ.सा. 3401 बढस हेतु पचावली दि. 20/3/2018 को पेश हो। <div style="text-align: right;">  अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली </div>	जयराज
20/3/18	APP 3401 वकील गौ.सा. 3401 बढस शुनी गरी पचावली का आवलीकन किया। प्रकरण में अस्तगास के साथ पेश कोई दरतावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता है कि किसी प्रकरण में गौ.सा. को दोषसिद्ध घोषित किया गया है। इस कारण प्रकरण रामरथान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के धारा 2 के तहत गुण्डा की परिभाषा में नहीं आता है। तदनुसार प्राथमिक प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 2(2)(1)(3) राम. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत घोषणीय नहीं होने से स्वारिस किया जाता है। पचावली फौजदारी में शुमार होकर नम्बर से कम हो। <div style="text-align: right;">  अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली </div>	